

[2024] 1 एससीआर 40: 2024 आई. एन. एस. सी 6

प्रकरण का विवरण

नीरज शर्मा

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

(दांडिक अपील क्रमांक 1420 /2019)

03 जनवरी 2024

[सुधांशु धूलिया * एवं सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

विचार हेतु मुद्दा

अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और दंड, अन्य बातों के साथ दंड संहिता 1860 की धारा 364 क के अपराध के लिए। 364-क, दंड संहिता, 1860, यदि न्यायोचित है।

शीर्ष टिप्पण

दंड संहिता, 1860 -धारा 364-क के अंतर्गत अपराध के गठन हेतु शर्तों को पूरा किया जाना है। 364-क- अपीलार्थीगण की धारा 307/120 ख, 364 क और 392/397 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषसिद्धि। अभियोजन यदि अपने प्रकरण को धारा 364 क, के अधीन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करता है।

अभिनिर्धारित किया गया: वर्तमान प्रकरण में, सबसे महत्वपूर्ण साक्षी शिकायतकर्ता स्वयं है-एक आहत साक्षी, जो एक 18 वर्षीय लड़का था, जो अपने मित्रों (अपीलकर्तागण) पर विश्वास करता था, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी हत्या की योजना बनाने वाले उसके मित्रों द्वारा उसे धोखा दिया जा रहा था-जब तक कि बचाव पक्ष द्वारा ऐसे साक्षी पर संदेह करने हेतु विवश करने वाली परिस्थितियां/सबूत नहीं दिए गए हैं, इसे दांडिक विचारण में एक अत्यंत मूल्यवान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना

चाहिए-शिकायतकर्ता को कारित चोटें अभियोजन के प्रकरण से मेल खाती हैं-अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित के शरीर को जलाकर निपटाने का प्रयास किया गया था-उसके दोनों पैरों पर जलने से आई चोटें थीं-उसकी गर्दन पर मजबूत लिगेचर मार्क पुनः महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अभियोजन का मामला है कि दोनों अभियुक्तों ने क्लच वायर से गला घोटने की कोशिश की थी। अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे लूट, व्यपहरण एवं हत्या का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में अपने प्रकरण को सिद्ध किया है। तथापि धारा 364 क के अधीन प्रकरण बनाने हेतु अभियोजन को युक्तियुक्त संदेह से परे जो आवश्यक तत्व साबित किये जाने चाहिए न केवल व्यपहरण या अपहरण का कार्य है, बल्कि उसके पश्चात मुक्तिधन की मांग, व्यपहरण या अपहरण किए गए व्यक्ति के जीवन के लिए खतरे के साथ होनी चाहिए-अभियोजन मुक्तिधन की मांग को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा-अभियोजन द्वारा कोई सार्थक साक्ष्य नहीं दिया गया। इस संबंध में-अपीलार्थीगण को धारा 364-क के अधीन दोषी सिद्ध किये जाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं था। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रकरण को धारा 364 क के अधीन एक मामला मानने में पूरी तरह से गलत निर्देश दिया। 364 क के अधीन निष्कर्ष को धारा 364 के अधीन संपरिवर्तित किया गया। क्योंकि अपीलार्थीगण ने धारा 364 के अधीन अपराध किया था। क्योंकि पीड़ित की हत्या करने के लिए व्यपहरण का अपराध साबित हुआ-अपीलकर्तागण को इस मामले में प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और रुपये 10,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया, व्यतिक्रम की दशा में तीन महीने का अतिरिक्त कारावास- शेष दोषसिद्धि और दंड अंतर्गत धारा 307 सहपठित 120 ख के साथ ही धारा 392 सहपठित धारा 397 की पुष्टि की गई अधिरोपित अर्थदंड को यथावत रखा गया। [पैरा 7,9,11,14,16 और 18]

दंड संहिता, 1860- धारा 362, 364, 364-क, 365,366-अपहरण मात्र एक अपराध नहीं है, जब किसी अन्य अधिनियम के साथ जोड़ा जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध बन जाता है:

अभिनिर्धारित किया गया: जबकि अपहरण मात्र तकनीकी रूप से भा.दं.सं. के तहत एक अपराध नहीं हो सकता है, यह एक दंडनीय अपराध बन जाता है जब इसे किसी अन्य अधिनियम के साथ जोड़ा जाता है।-हत्या करने के लिए व्यपहरण धारा 364 के अधीन एक अपराध है। व्यपहरण धारा 365 के अधीन एक अपराध है यदि यह किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से या सदोष परिरोध करने के आशय से किया जाता है, या भा.दं.सं. की धारा 366 के अधीन जब यह किसी स्त्री को विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए किया जाता है। धारा 364 क एक अपराध है जहां व्यपहरण या अपहरण किया जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है या उपहति कारित की जाती है या मुक्तिधन की मांग पर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जाती है या वास्तव में उसकी हत्या कर दी जाती है- स्पष्ट, धारा 364 क न बल्कि सरकार या विदेशी राज्य के खिलाफ आतंकवाद के कृत्यों को शामिल करता है, बल्कि इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां मुक्तिधन की मांग आतंकवादी कृत्य के हिस्से के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि एक निजी व्यक्ति के लिए मौद्रिक लाभ के लिए की जाती है। धारा 364 क के आमेसन पर चर्चा की गई |[पैरा 12]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 357(1), 357 क :

अवधारित किया गया: अपराध के पीड़ित को केवल अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में नहीं माना जा सकता है -दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (1) न्यायालय को यह आदेश देने हेतु सशक्त करती है कि वसूल की गई अर्थदंड की राशि किसी व्यक्ति को दी जाए जिसे उस अपराध के कारण कोई क्षति या चोट कारित हुई हो -ऐसा समय आ सकता है जब स्थिति की मांग हो सकती है कि पीड़ित को मुआवजे की पर्याप्त राशि का भुगतान किया जाए और दोषी उस भार को वहन करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो। ऐसी स्थितियों के लिए, धारा 357 क को इस कारण से दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित किया गया था, जहां पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्य निधि से किया जा सकता है, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह पीड़ित को उस अपराध से बचाए जो पीड़ित के खिलाफ किया गया था, इस प्रकरण में, पीड़ित को 45-48% जलने से

आई चोटें कारित हुई थीं और उसने अपना एक पैर खो दिया था, जब वह केवल अठारह वर्ष का था.छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पीड़ित को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, रुपये 1,00,000/- के स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क के तहत मुआवजे के रूप में रु.5,00,000/-(पांच लाख रुपए मात्र) की राशि का भुगतान किया जाए।[पैरा 19,20]

दांडिक विधि-दांडिक विचारण-आहत साक्षी-महत्व की चर्चा की गई।

उद्धरणों और अन्य संदर्भों की सूची

बालू सुदाम खाल्डे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 355; विक्रम सिंह बनाम भारत संघ [2015] 10 एससीआर 816:(2015) 9 एस.सी.सी. 502; शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य (2021) 9 एस. सी. सी. 59; राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1202- का अवलम्ब लिया गया।

रवि ढींगरा बनाम हरियाणा राज्य (2023) 6 एस. सी. सी. 76; जेंटेला विजयवर्धन राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1996]5 सुप्लिमैट्री एससीआर 273:(1996) 6 एससीसी 241; सुनील कुमार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1997] 1 एस.सी. आर. 589:(1997) 10 एस. सी. सी. 570; श्रवण भादाजी भिराद और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2002] 4 सप्लीमेंट।एससीआर 158:(2002) 10 एससीसी 56; यू.पी. राज्य बनाम वीर सिंह और अन्य [2004] 1 पूरक।एससीआर 790:(2004) 10 एससीसी 117; एस. अरुल राजा बनाम तमिलनाडु राज्य [2010] 9 एससीआर 356: (2010) 8 एस. सी. सी. 233- का भी संदर्भ लिया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

मुख्य शब्दों की सूची

व्यपहरण; हत्या का प्रयास; लूट; व्यपहरण या हत्या के लिए अपहरण; मुक्तिधन के लिए अपहरण; दोषसिद्धि संपरिवर्तित; युक्तियुक्त संदेह से परे; आहत साक्षी; पीड़ित को मुआवजा।

आक्षेपित आदेश और उपस्थिति सहित अन्य प्रकरण का विवरण

दांडिक अपील अधिकारिता:दांडिक अपील क्रमांक 1420/2019

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के दांडिक अपील क्रमांक 200/2015 के निर्णय और आदेश दिनांक 26.06.2018 साथ ही दांडिक अपील क्रमांक 36/2024 में

उपस्थिति:

समीर श्रीवास्तव, सुश्री याशिका वाष्ण्य, श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव, श्रीमती संगीता, शिवेंद्र दीक्षित, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

सुमीर सोधी, सुश्री भावना मपवाल, अधिवक्ता, उत्तरदाता के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय /आदेश

निर्णय

सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति।

याचिका स्वीकार की गई।

2. ये दोनों दांडिक अपीले, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 200/2015 में पारित एक समान निर्णय और आदेश दिनांक 26/06/2018 से प्रोदभूत हुई हैं, जिसे वर्तमान अपीलार्थीगण की दांडिक अपील को विचारण न्यायालय की दोषसिद्धि और दंडादेश को यथावत रखते हुए खारिज कर दिया गया है. दोनों अपीलार्थीगण को धारा 307/120-ख, 364-क व 392/397 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 364 क भारतीय दंड संहिता, 1860(संक्षेप में 'भा.द.वि.') के अधीन आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया था।

इस प्रकरण के तीसरे आरोपी रवि कुमार द्विवेदी को विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था।

3. अभियोजन का प्रकरण यह है कि अपीलकर्तागण ने केपीएस स्कूल, दुर्ग के 12 वीं कक्षा के छात्र अर्जित शर्मा (अ.सा.-6) का अपहरण कर लिया था। अभियोजन के अनुसार, अपहरण मुक्तिधन हेतु किया गया था, और आरोपी द्वारा पीड़ित को मारने का

एक कायरतापूर्ण प्रयत्न भी किया गया था, हालांकि पीड़ित चमत्कारिक रूप से बच गया था, परन्तु उसे गंभीर चोटें कारित हुईं, जिसके कारण अंततः उसका दाहिना पैर काट दिया गया। शिकायतकर्ता/पीड़ित (अ.सा.-6) उस सुसंगत समय पर प्रियदर्शनी नगर, दुर्ग में श्रीमती सीमा सिंह (अ.सा.-7) के मकान में किरायेदार (पेइंग गेस्ट) के रूप में रह रहा था। आरोपी, नीरज शर्मा और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को जानते थे और 02.01.2013 को दोनों ने मोटरसाइकिल पर नेहरू नगर और युगंदर कॉलेज, राजनाँदगाँव जाने का निश्चय किया। दोनों आरोपी अर्थात् नीरज शर्मा और अश्विनी कुमार यादव ने शिकायतकर्ता को उसके गेस्ट हाउस से उठाया और तीनों अपनी मोटरसाइकिल पर "डोंडीलोहारा" नामक स्थान पर चले गए। रात के लगभग 1 बजे जब शिकायतकर्ता खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, तो दोनों अभियुक्तों ने मोटरसाइकिल के क्लच तार से उसकी गर्दन दबा कर उसको मारने का प्रयास किया। परिणामतः, शिकायतकर्ता बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और अपीलकर्तागण यह सोचकर कि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई है, उसके शरीर पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दिया।

अभियोजन के प्रकरण के अनुसार शव में आग लगा दी गई थी, लेकिन शव में आग लगाने से पूर्व, शिकायतकर्ता/पीड़ित के मोबाइल फोन और रु.5000/- (मात्र पांच हजार रुपये) नकद दोनों आरोपी नीरज शर्मा और अश्विनी कुमार यादव द्वारा उससे लूट लिए गए थे।

4. तथापि, शिकायतकर्ता की मृत्यु नहीं हुई थी, परन्तु यह ज्ञात हुआ कि वह घटनास्थल से भागने में सफल रहा और तत्पश्चात् अपरिचितों ने उसे बचा लिया, जिनसे वह भागते समय मार्ग में मिला था, जिन्होंने उसे एम्बुलेंस बुलाने में सहायता की और उसे डोंडीलोहारा चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से उसे राजनाँदगाँव और अंततः सेक्टर-9 चिकित्सालय, भिलाई रेफर कर दिया गया। उसके डोंडीलोहारा चिकित्सालय में रहने के दौरान, डॉक्टर (अ.सा.-4) जिसने शिकायतकर्ता का परीक्षण किया था ने भी पुलिस को सूचित किया था और इसलिए 03.01.2013 को "देहाती नालिशी" (प्रदर्श पी/12) दर्ज

1 देहाती नालिशी एक शून्य एफ. आई. आर. के समतुल्य है।

किया गया था। डौंडीलोहारा अस्पताल में शिकायतकर्ता/पीड़ित की जांच करने वाले डॉक्टर अ.सा.-4 (जय कुमार चुनारकर) ने अपने प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/9) में निम्नलिखित जलने की चोटों को नोट किया है।

“आहत ने गहरे चॉकलेट रंग का अंडरवियर पहना हुआ था, जो कि नहीं जला था और उसके संपूर्ण शरीर से त्वचा के जलने की गंध आ रही थी और वह अर्धचेतन अवस्था में था। वह बहुत बेचैन था और उसे जले हुए स्थानों तथा दूसरे स्थानों पर जलन की शिकायत थी।”

“आहत के दोनों पैरों के आगे और पीछे की ओर जलने की चोटें पाई गईं और उस स्थान की त्वचा सतह से निकल गई थी। उसके उदर के निचले हिस्से में जलने से आने वाली चोटें और जलने से उठने वाले कई फफोले और जलने से आने वाली चोटें कमर पर थी और सीने के दाहिनी ओर के ऊपरी हिस्से में जलने से आने वाली चोटें थी और आहत के गले के सामने वाले हिस्से पर एक परत जैसा लिगेचर मार्क उपस्थित था, जो हल्के लाल रंग में था, जिसकी लंबाई 12.2 से 14 सेंटीमीटर थी और उसके गले के सामने वाले हिस्से पर खरोंच की चोटें पाई गईं, जिसका आकार क्रमशः 3x2, 2x2 और 2x2 सेंटीमीटर था। इस संबंध में उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) प्रस्तुत की थी।”

पीड़ित के शरीर पर फर्स्ट डिग्री की जलने से आने वाली चोटें थीं क्योंकि जलने का क्षेत्र उसके शरीर के क्षेत्र का 45 % से 48% था। पीड़ित (अ.सा.-6) का कथन 04.01.2013 को दोपहर 12 बजे नायब तहसीलदार के समक्ष दर्ज किया गया। जिन समग्र परिस्थितियों में यह कथन दर्ज किया गया था, वह इसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य बनाते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह एक अठारह वर्षीय बालक द्वारा दिया गया एक कथन है जो अभी-अभी एक दुखद घटना से बाहर आया है जहाँ उस पर एक कायरतापूर्ण जानलेवा हमले का प्रयत्न किया गया था। वह गंभीर रूप से आहत भी है और जाहिर है

कि उसने कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने यह कथन करने से पूर्व किसी से सलाह नहीं लिया था। इस कथन की सत्यता पर संदेह नहीं होना चाहिए। वह बताता है कि कैसे उसे नीरज शर्मा और अश्विनी कुमार यादव मोटरसाइकिल पर ले गए और कैसे उसे रास्ते में शराब पीने के लिए कहा और फिर रात्रि के 01:00 बजे कैसे दोनों अभियुक्तों ने पहले क्लच वायर से उसका गला घोटने की कोशिश की और बाद में यह सोचकर उसके शरीर में आग लगा दी कि वह मर चुका है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ किसी भी मांग या मुक्तिधन की बात का कोई उल्लेख नहीं है।

5. पुलिस ने विवेचना पूर्ण करने के पश्चात तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 120 ख, 364 क, 307, 392/397 और विकल्प में धारा 394 के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि यह एक सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराध था, अतः इसे सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जहां से इसे प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद को अंतरित किया गया, जिन्होंने अंततः धारा 364-क, 307, 120 ख, 392, 397 और विकल्प में धारा 394 भा.दं.सं. के तहत सभी आरोपीगण यथा नीरज शर्मा, अश्विनी कुमार यादव और रवि कुमार द्विवेदी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गए।

अभियोजन ने सभी 11 साक्षियों का परीक्षण कराया और न्यायालय के समक्ष कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियुक्तगण ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण चाहा। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 03 /01 /2015 को पारित किया जिसके द्वारा अभियुक्तगण अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 307/120 ख, 364 क और 392/397 के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था, जिसके लिए उन्हें भा.दं.सं. की धारा 364-क के तहत प्रमुख अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने भी यथावत रखा है।

6. विशेष अनुमति याचिका दिनांक 30/11/2018 में नोटिस जारी करते हुए इस न्यायालय ने नीरज शर्मा के प्रकरण में वास्तव में भा.दं.सं. की धारा 307 सहपठित धारा 120 ख साथ में धारा 392 सहपठित धारा 397 भा.दं.सं. के अधीन उनकी दोषसिद्धि की

पुष्टि करते हुए धारा 364 क के अधीन उनकी दोषसिद्धि के लिए एक सीमित नोटिस जारी किया। उक्त आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:

“हम भा.दं.सं. की धारा 307 सहपठित धारा 120(ख) और भा.दं.सं. की धारा 397 सहपठित धारा 392 के तहत याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं पाते हैं।

धारा 364 क के तहत दोषसिद्धि तक सीमित, आठ सप्ताह के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी करें।”

अश्वनी कुमार यादव के प्रकरण में नोटिस जारी करते समय इस न्यायालय द्वारा इस प्रकृति का कुछ भी अवलोकित नहीं किया गया है जो कि दिनांक 02.08.2021 को जारी किया गया था।

जहाँ तक हत्या और डकैती के प्रयास का संबंध है, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपने प्रकरण को स्थापित करने में सक्षम रहा है। साथ ही, हमें भा.दं.सं. की धारा 364-क के तहत आरोपी को दोषसिद्ध किये जाने के विषय में संदेह है। वास्तव में, यह संदेह इस न्यायालय के मन में भी था, कम से कम नीरज शर्मा के प्रकरण में, क्योंकि इस न्यायालय ने प्रकरण में केवल 364-क की प्रयोज्यता के लिए एक सीमित नोटिस जारी किया है।

7. इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी शिकायतकर्ता स्वयं है। वह एक आहत साक्षी भी है। घटना में उसे कारित चोटें अभियोजन के प्रकरण से मेल खाती हैं। दोनों अभियुक्तों ने शव को जलाकर पीड़ित के शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। उसके दोनों पैरों में जलने से आई चोटें थीं। उसकी गर्दन पर मजबूत लिगेचर मार्क पुनः महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अभियोजन का प्रकरण है कि दोनों अभियुक्तों ने क्लच के तार से उसका गला घोटने का प्रयास किया था। पीड़ित की हालत कम से कम बात करने के लिए अनिश्चित थी, और उसने कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी. के. वर्मा, जो नायब तहसीलदार और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दुर्ग थे, के सामने एक कथन किया, उन्होंने कहा:

“शाम को 6:30-7:00 बजे नीरज शर्मा और अश्विनी यादव मेरे पास आए और कहा कि चलो युगान्तर कॉलेज राजनाँदगाँव चलते हैं। मैंने युगान्तर कॉलेज नहीं देखा था इसलिए मैं उनके साथ मोटर साइकिल से कॉलेज देखने गया।”

उन्होंने यह भी कहा,

“3 तारीख की रात को 1:30 बजे बालोद की तरफ एक प्लांट है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसके पास ही नीरज शर्मा और अश्विनी यादव ने पहले क्लच वायर से मेरा गला घोट दिया, मैंने अपनी सांस रोक दी थी, उन्हें लगा कि मैं मर गया हूँ, फिर पेट्रोल डालकर मुझे आग लगा दिए।”

8. इसके अलावा, घटना की सत्यता आगे संतोष शुक्ला (अ.सा.-1) के न्यायालयीन कथन से स्थापित होती है, जो भिलाई संयंत्र में पहला व्यक्ति था जिसने शिकायतकर्ता को जली हुई स्थिति में देखा और जिसने उससे पूछताछ किया था कि उसकी चोटों का कारण क्या है और उसे यह बताया गया कि कि ये चोटें उसके मित्रों द्वारा उसे कारित की गई थी, और उसके पैसे भी उनके द्वारा लूट लिए गए थे। अ.सा.-4, डॉ. जय कुमार चुनारकर, डोंडीलोहारा चिकित्सालय में शिकायतकर्ता की चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जिन्होंने उसके शरीर पर जलने से आई चोटों को दर्ज किया था जिनका कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। शिकायतकर्ता के पिता प्रणीत शर्मा (अ.सा.-5) ने बताया कि 03/01/2013 की मध्य रात्रि में अमन सिंह ने उन्हें बताया कि उनका पुत्र अर्जित शर्मा ठीक नहीं है और उनका पुत्र सेक्टर-9 चिकित्सालय, भिलाई में भर्ती है और जब वह चिकित्सालय पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्र को जले हुए स्थिति में और गंभीर दर्द में देखा। उनके पुत्र ने उन्हें सूचित किया कि ये दो अपीलार्थी ही थे जिन्होंने उसे मारने का प्रयास किया था। उन्होंने यह भी कहा कि 03.01.2023 को दोपहर 12 बजे उन्हें मोबाइल क्रमांक 7869590607 से एक फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने उनके पुत्र अर्जित शर्मा की मुक्ति हेतु मुक्तिधन के रूप में 8,00,000/- रुपये के की मांग की। जब उन्होंने यह कहा कि उनका पुत्र उनके साथ चिकित्सालय

में है और वह फोन करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा, तो फोन काट दिया गया था। इस साक्षी (अ.सा.-5) के कथन का यह हिस्सा, जो शिकायतकर्ता/आहत का पिता है, मुक्तिधन की मांग के संबंध में, तथापि किसी भी तरह से स्थापित नहीं किया गया है।

शिकायतकर्ता ने स्वयं का परीक्षण अ.सा.-6 के रूप में कराया था, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि वह भिलाई में किराये से (पेइंग गेस्ट) के रूप में रह रहा था और आरोपी नीरज शर्मा, जो उसे जानता था, ने उसके मोबाइल फोन पर कॉल किया और उसे नेहरू नगर, भिलाई आने के लिए कहा, जहाँ से उन्हें मोटरसाइकिल पर कहीं जाना था। अपनी मकान मालकिन को सूचित करने पश्चात वह नेहरू नगर में नीरज शर्मा से मिलने गया। नीरज शर्मा कुछ मिनटों के पश्चात मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुँचा अश्विनी कुमार यादव पीछे बैठा था। मोटरसाइकिल पर तीनो युगान्तर कॉलेज की ओर गए और रास्ते में उन्होंने शराब भी पी। रास्ते में वे नीरज शर्मा के भाई राहुल से भी मिले थे। आधी रात के बाद, उसने नीरज शर्मा से वाहन रोकने का अनुरोध किया, क्योंकि वह स्वयं को संतुलित करना चाहता था और जब शिकायतकर्ता नीरज शर्मा से बात कर रहा था, तो दूसरा आरोपी अश्विनी कुमार यादव पीछे से आया और उसकी गर्दन में क्लच का तार बांध दिया और फिर अश्विनी कुमार यादव और नीरज शर्मा दोनों ने क्लच के तार से उसका गला घोटने का प्रयास किया। परिणामतः, वह अचेत हो गया और दोनो हमलावरों ने उसे मृत मान लिया, जिन्होंने फिर उस पर पेट्रोल डाल दिया। उसने नीरज शर्मा और अश्विनी कुमार को अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल लाते हुए भी सुना। नीरज शर्मा उसके बटुए से रु.5000/- और उसका सेल फोन भी ले गया। बाद में उस पर पेट्रोल डाला गया और फिर उसे आग लगा दिया गया। वह किसी तरह बच निकला और निकट स्थित भिलाई संयंत्र में पहुँचा और उसने गार्ड को घटना के बारे में सूचित किया और उसे अपने मकान मालिक का नंबर दिया और बाद में एम्बुलेंस को बुलाया गया और उसे चिकित्सालय भेज दिया गया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया था, परन्तु ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे उसके किसी भी कथन पर संदेह हो।

9. अ.सा.-7 मकान मालकिन सीमा सिंह हैं, जहाँ शिकायतकर्ता एक किरायेदार (पेइंग गेस्ट) के रूप में रह रहा था, जिसने भी आरोपी के खिलाफ साक्ष्य दिया है। उसने कहा है कि शिकायतकर्ता ने 02.01.2013 को उसे सूचित किया था कि वह अपने मित्र के साथ अन्य स्थान पर जा रहा है, जिसके लिए उसने उसकी अनुमति मांगी थी।

पुलिस ने मोबाइल फोन का पता लगाया जो आरोपी में से एक अश्विनी कुमार यादव का था। पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान नीरज शर्मा और अश्विनी कुमार यादव को 03.01.2013 को गिरफ्तार किया और उनके हीरो होंडा मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए। अतः जहाँ तक अपहरण और हत्या के प्रयास का संबंध है, अभियोजन की कहानी पर शायद ही कोई संदेह हो। अभियोजन अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण साक्षी शिकायतकर्ता स्वयं है, जो एक 18 वर्षीय बालक है, जो भिलाई के पास एक कॉलेज में सुसंगत समय पर पढ़ रहा है, जो अपने मित्रों पर विश्वास किया, उसे ज्ञात नहीं था कि उसकी हत्या की योजना बनाने वाले उसके मित्र उसे छल से ले जा रहे हैं। अ.सा.-6 भी एक आहत साक्षी है।

10. अ.सा.-6 का परीक्षण करने वाले प्रथम डॉक्टर डॉ. जय कुमार चुनारकर (अ.सा.-4) थे, जो बालोद के जिला अस्पताल में कार्य करते हैं। उन्होंने आहत शिकायतकर्ता का परीक्षण 03.01.2013 को प्रातः किया था। अ.सा.-6 की चोटों और उनकी सामान्य स्थिति के बारे में उनका अवलोकन इस प्रकार है:

“अभिमत:- रोगी के शरीर पर जले हुए घाव पाए गए, जो डर्मल पीड बर्न प्रकृति के थे, जो फर्स्ट डिग्री बर्न को व्यक्त करते थे। जला हुआ क्षेत्र लगभग 45 से 48 प्रतिशत था। प्रदर्श पी-9 मेरे द्वारा दिया गया परीक्षण प्रतिवेदन है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को, थाना प्रभारी

डौंडीलोहारा से आहत अर्जित शर्मा का कथन दर्ज करने हेतु ज्ञापन प्राप्त होने पर, मैंने अभिमत दिया था कि, "दिनांक 03/01/2013 को प्रातः 04:30 बजे आहत अर्जित शर्मा कथन करने की स्थिति में नहीं था."

इसके पश्चात आहत को भिलाई चिकित्सालय भेजा गया जहां डॉ. उदय (अ.सा.-9) ने उसका परीक्षण किया। उनका अवलोकन इस प्रकार है:

"परीक्षण करने पर, मैंने पाया कि रोगी के दोनों पैर ऊपर से नीचे तक गहरे जले हुए थे और उनमें पेट और दोनों हाथों में कुछ फफोले थे, जो 40 से 45 प्रतिशत तक जले हुए थे। उसकी गर्दन पर निशान थे, जो कदाचित क्लच तार के दबाव के कारण आये थे। जिसका इलाज लगभग 60 दिनों तक मेरे चिकित्सालय में किया गया था, जिसमें उसकी दो बार शल्य चिकित्सा की गई थी, प्रथम शल्य चिकित्सा 15.01.13 को की गई थी, जिसके दौरान हम उसके दाहिने पैर को घुटने के नीचे से काटने के लिए विवश हुए, जो अत्याधिक जलने के कारण सड़ गया था।

द्वितीय शल्य चिकित्सा 12.02.13 पर किया गया था, जिसमें गहरी चोट वाले स्थान पर, अन्य स्थानों से त्वचा को ग्राफ्ट किया गया था। इसके पश्चात शनैः शनैः रोगी की दशा में सुधार होने लगा और 04.03.13 को उसे चिकित्सालय से छुट्टी दे दी गई। हमारे चिकित्सालय में प्रवेश के संबंध में अंतर्ह रोगी का पंजीकरण पत्रक (बेडहेड टिकट) प्रदर्श पी-14 है, जो 166 पृष्ठों में है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।"

अन्य व्यक्ति जो आहत से मिला था जब वह बच कर भाग गया था वह है अ.सा.-01 अर्थात् संतोष शुक्ला। अ.सा.-1 का कथन इस प्रकार है:

"मैं जनवरी, 2009 से गोदावरी इस्पात संयंत्र गिधाली में वरिष्ठ कार्यकारी एच. आर. के पद पर पदस्थ हूं। यह इस साल जनवरी के पहले सप्ताह की बात है, उस समय मैं रात की पाली में ड्यूटी पर था। रात को लगभग 2 से 3 बजे के

बीच, संयंत्र के गार्ड ने मुझे बताया कि एक लड़का जली हुई अवस्था में संयंत्र अंदर आया है और फिर कार्यालय से बाहर आकर मैंने देखा कि लड़का पैर, पीठ और हाथ आदि में जल गया था, उसने केवल अंडरवियर पहना था। मेरे द्वारा पूछने पर लड़के ने बताया, "मेरे मित्र मुझे जंगल में ले गए और मुझे जला दिया और मुझसे पैसे लूट लिए।" फिर मैंने थाना डोंडीलोहारा को फोन किया और संजीवनी 108 को भी फोन किया। तत्पश्चात संजीवनी एम्बुलेंस पहुंची और लड़के को चिकित्सा हेतु डोंडीलोहारा चिकित्सालय ले गई।

पुलिस कर्मी थाना प्रभारी साहू घटना की जांच करने आए थे और उन्होंने घटना का नज़री नक्शा (प्रदर्श पी-01) तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह, हलका पटवारी ने घटना का नज़री नक्शा (प्रदर्श पी-02) तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस कर्मियों ने जली हुई पैंट, जली हुई कमीज पैंट जीप, डिस्पोजल ग्लास, सिगरेट का डिब्बा इत्यादि मेरे समक्ष जप्त किये तथा 2 व्यक्तियों को हथकड़ी पहनाई। उपरोक्त वस्तुओं की जप्ती की कार्यवाही न्यायालय में मौजूद आरोपी नीरज शर्मा की उपस्थिति में घटना स्थल से जब्त ज़ापन (प्रदर्श पी-3) के अनुसार की गई थी, जिसमें अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर थे। पुलिस कर्मी ने पूछताछ के पश्चात मेरा कथन दर्ज किया था।"

11. दांडिक विचारण में आहत साक्षी के महत्व को कम नहीं कहा जा सकता है। जब तक बचाव पक्ष द्वारा ऐसे साक्षी पर संदेह करने के लिए विवश करने वाली परिस्थितियाँ या साक्ष्य नहीं दिए जाते हैं, तब तक दांडिक विचारण में एक अत्यंत मूल्यवान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

बालू सुदाम खाल्डे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी के प्रकरण में

इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों का सार दिया है जिन्हें एक आहत चक्षुदर्शी के साक्ष्य की विवेचना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :

“26. जब एक आहत चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य की विवेचना करना है तब न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्न लिखित विधिक सिद्धांतों को दृष्टिगत रखने की आवश्यकता होती है:

(क) घटना के समय और स्थान पर एक आहत चक्षुदर्शी साक्षी की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके अभिसाक्ष्य में सारवान विरोधाभास न हों।

(ख) जब तक कि इसे साक्ष्य द्वारा अन्यथा स्थापित नहीं किया जाता है, यह विश्वास किया जाना चाहिए कि एक आहत साक्षी वास्तविक दोषियों को भागने और आरोपी को गलत तरीके से फंसाने की अनुमति नहीं देगा।

(ग) आहत साक्षी के साक्ष्य का अधिक साक्ष्यिक मूल्य होता है और जब तक कि ठोस कारण मौजूद न हों, उनके कथनों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

(घ) आहत साक्षी के स्वाभाविक आचरण में कुछ अलंकरण या मामूली विरोधाभासों के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है।

(ई) यदि किसी आहत साक्षी के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या अतात्विक परिष्करण है, तो इस तरह के विरोधाभास, अतिशयोक्ति या परिष्करण को आहत के साक्ष्य से हटा दिया जाना चाहिए, किन्तु पूरे साक्ष्य से नहीं।

(च) अभियोजन पक्ष के संस्करण के व्यापक तत्व को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए और समय के साथ स्मृति की हानि के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों का परित्याग किया जाना चाहिए।”

12. वर्तमान प्रकरण में व्यपहरण और हत्या के प्रयास का मामला अभियोजन पक्ष द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। अब हमें यह निर्धारित करना है कि क्या भा.दं.सं. की धारा 364 क के तहत कोई अपराध बनता है ?

जबकि व्यपहरण मात्र तकनीकी रूप से भा.दं.सं. के तहत एक अपराध नहीं हो सकता है, यह एक दंडनीय अपराध बन जाता है जब इसे किसी अन्य अधिनियम के साथ जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, हत्या करने के लिए व्यपहरण भा.दं.सं. की धारा 364 के तहत एक अपराध है। अतः, व्यपहरण एक अपराध है यदि यह किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से या सदोष परिरोध करने के आशय से किया जाता है (धारा 365, भा.दं.सं.), या जब यह किसी स्त्री को विवाह आदि के लिए विवश करने के लिए किया जाता है। (धारा 366, भा.दं.सं.)। इसी तरह, धारा 364 क एक अपराध है जहां व्यपहरण या अपहरण किया जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी जाती है या उपहति कारित की जाती है या मुक्तिधन की मांग पर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जाती है या वास्तव में उसकी हत्या कर दी जाती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क को संसद के एक अधिनियम (1993 का अधिनियम क्रमांक 42, 22 मई, 1993 से प्रभावी) द्वारा भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया था। यह एक ऐसा समय था जब मुक्तिधन के आशय से व्यपहरण और अपहरण बढ़ रहे थे और इसलिए, भारत के विधि आयोग ने 1971 में अपनी 42 वीं रिपोर्ट में भा.दं.सं. में धारा 364 क को शामिल करने की सिफारिश की थी, हालांकि इसे अंततः वर्ष 1993 में शामिल किया गया था, यह निम्नानुसार है:

“364-क मुक्ति-धन इत्यादि, के लिए व्यपहरण-जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करता है अथवा ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति का निरोध करता है, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी देता है, अथवा अपने आचरण द्वारा ऐसी युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है की ऐसे व्यक्ति की हत्या या उपहति कारित की जा सकती है

अथवा ऐसे व्यक्ति को उपहति या मृत्यु सरकार को [या किसी विदेशी राज्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय अन्तर्शासकीय संगठन अथवा किसी अन्य व्यक्ति] को किसी कार्य को करने या कार्य को करने से विरत रहने अथवा मुक्तिधन अदा करने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से कारित करता है, मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा”

विक्रम सिंह बनाम भारत संघ (2015) 9 एससीसी 502 के प्रकरण में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

“53. वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि भा.दं.सं. की धारा 364-क लाने की आवश्यकता प्रारम्भ में मुक्तिधन के लिए व्यपहरण और अपहरण की बढ़ती घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई। यह विधि आयोग द्वारा की गई उन सिफारिशों से स्पष्ट है जिनका हमने इस निर्णय के पूर्व भाग में उल्लेख किया है। जब वे सिफारिशें शासन के पास लंबित थीं, तब आतंकवाद ने अपना सिर उठाना प्रारम्भ कर दिया था उसने न केवल नागरिकों की सुरक्षा, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता को भी खतरे में डालना शुरू कर दिया, और किसी भी देश को अस्थिर करने की क्षमता पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त उपायों का आह्वान किया। आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय आयाम ग्रहण करने के साथ, विधि में और संशोधन करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1994 में भा.दं.सं. की धारा 364-क में संशोधन किया गया। मुक्तिधन हेतु व्यपहरण और अपहरण से उत्पन्न चुनौतियों का क्रमिक विकास, न केवल आम अपराधियों द्वारा मौद्रिक लाभ के लिए या आर्थिक लाभ के लिए एक संगठित गतिविधि के रूप में, बल्कि आतंकवादी संगठनों द्वारा भा.दं.सं. की धारा 364-क को शामिल करने और ऐसी गतिविधियों में लिस लोगों के लिए कड़े दंड की आवश्यकता है।”

यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जैसा कि **विक्रम सिंह** (पूर्वोक्त) में किया गया था, कि भा.दं.सं. की धारा 364 क में न केवल शासकीय या विदेशी राज्य के खिलाफ आतंकवादी कृत्य शामिल हैं, बल्कि इसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां मुक्तिधन की मांग आतंकवादी कृत्य के हिस्से के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि एक निजी व्यक्ति के लिए मौद्रिक लाभ के लिए की जाती है।

13. वर्तमान प्रकरण में, धारा 364-क के तहत मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रवि कुमार द्विवेदी (तृतीय आरोपी जिसे विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था) के द्वारा दोपहर 12 बजे पीड़ित के पिता को किये गए फोन कॉल के रूप में है। हालाँकि, अभियोजन के अनुसार नंबर का पता अश्विनी यादव के रूप में लगा है, जो दो अभियुक्तों में से एक है परन्तु इस आशय का कोई साक्ष्य, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत आवश्यक है, न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है। शिकायतकर्ता द्वारा 21.03.2013 को पुलिस के समक्ष किये गए पूरक कथन (उसका पूर्व कथन 03.01.2013 का है) की बहुत कम प्रासंगिकता है क्योंकि अ.सा.-6 कभी भी अपने मुख्य परीक्षण में इसके बारे में नहीं बोलता है।

14. **शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य (2021) 9 एस.सी.सी. 59** के प्रकरण में इस न्यायालय ने अवधारित किया है कि धारा 364 क के तहत अपराध कारित करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

अ) किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण होना चाहिए या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाना चाहिए;

ब) ऐसे व्यक्ति को मृत्यु या उपहति कारित करने की धमकी है या उनके आचरण से आरोपी को एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित की जा सकती है।

ग) या सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर-शासकीय संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उससे विरत रहने या मुक्तिधन का भुगतान करने के लिए विवश करने के लिए ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उपहति कारित करना।

अभियोजन पक्ष को न्यायालय के समक्ष एक युक्तियुक्त संदेह से परे जो आवश्यक सामग्री साबित करनी चाहिए, वे न केवल व्यपहरण या अपहरण का कार्य है, बल्कि उसके पश्चात मुक्तिधन की मांग, व्यपहरण या अपहरण किए गए व्यक्ति के जीवन के लिए खतरे के साथ होनी चाहिए। **रवि ढींगरा बनाम हरियाणा राज्य (2023) 6 एस सी सी 76** के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा इसे दोहराया गया था।

वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष जो स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है, वह है मुक्तिधन की मांग। अभियोजन के अनुसार, शिकायतकर्ता के पिता यानी प्रणीत शर्मा (अ.सा.-5) को एक फोन आया जिस के द्वारा मुक्तिधन की मांग की गई। फोन कॉल अभिकथित तौर पर किसी रवि कुमार द्विवेदी की थी, लेकिन न्यायालय के समक्ष मुक्तिधन की मांग को स्थापित करने के लिए कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लिया गया था जो इस न्यायालय द्वारा राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1202 में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के अनुसार नितांत आवश्यक था

15. धारा 364-क के तहत प्रकरण तैयार करने हेतु, प्रथम शर्त अर्थात व्यपहरण या अपहरण को द्वितीय या तृतीय शर्त के साथ जोड़ा जाना चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **शेख अहमद (पूर्वोक्त)²** में अभिनिर्धारित किया गया है। उक्त प्रावधान के तहत, आरोपी को मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्थदंड भी अधिरोपित किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है कि धारा 364 के तहत एक अपराध बनता है, हम यह नहीं पाते हैं कि अपराध धारा 364 क की परिधि में आएगा।

'अपहरण' को धारा 362 के तहत परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार है:

“362. अपहरण —जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।”

जो अपराध किया गया है वह निश्चित रूप से धारा 364 के तहत है जो निम्नानुसार है:

“364. हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण—

जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए की वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

16. तथापि धारा 364क की परिधि में आने के लिए व्यपहरण से कुछ अधिक किये जाने की आवश्यकता है, जो कि मुक्तिधन की मांग है। हम यह नहीं पाते हैं कि मुक्तिधन की मांग की गई थी जैसा कि अभियोजन ने आरोप लगाया था। इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई सार्थक साक्ष्य नहीं दिया गया है।

मुक्तिधन की मांग शिकायतकर्ता (अ.सा.-6) के मुख्य परीक्षण में नहीं आती है। वह व्यपहरण, हत्या के प्रयास आदि के अपने कथन पर कायम है, परन्तु मुक्तिधन की किसी भी मांग के बारे में कोई कानाफूसी नहीं है, हालांकि 21/03/2013 को पुलिस के समक्ष अपने पूरे कथन में (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत) वह कहता है कि जब वह दोनों अभियुक्तों द्वारा उसका गला घोटने की कोशिश के पश्चात जमीन पर लेटा हुआ था, तो उसने नीरज शर्मा को अश्विनी कुमार यादव से कहते हुए सुना था कि उन्हें अब उसके पिता से मुक्तिधन की मांग करनी चाहिए। मुक्तिधन की मांग के संबंध में न्यायालय में एकमात्र न्यायालयीन कथन शिकायतकर्ता के पिता प्रणीत शर्मा (अ.सा.-5) के एक सादे न्यायालयीन कथन के रूप में आया है कि 03.01.2013 को जब वह चिकित्सालय में थे तो रवि कुमार द्विवेदी ने मुक्तिधन के रूप में रुपये 8,00,000/- की

मांग की थी। तृतीय आरोपी रवि कुमार द्विवेदी को विचारण न्यायालय पूर्व से ही दोषमुक्त कर चुकी है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 364 क के तहत दोषी सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं था। धारा 364 क के तहत अपीलार्थीगण को दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह अपास्त किये जाने योग्य है।

17. भा.दं.सं. की धारा 364 क के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के दंड को अपास्त किया जाता है। फिर भी, हम पाते हैं कि अ.सा.-6 का व्यपहरण कर लिया गया था ताकि उसकी हत्या की जा सके। अतः हम धारा 364 क के तहत निष्कर्षों को धारा 364 में संपरिवर्तित करते हैं। अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 364 क के स्थान पर भा.दं.सं. की धारा 364 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों भा.दं.सं. की धारा 364 क के अधीन अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में दोष का पता लगाने में विफल रहे हैं। विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने अ.सा.-5 (पीड़ित के पिता प्रणीत शर्मा) और अ.सा.-6, उसके पुत्र, पीड़ित के साक्ष्य पर पूर्णतः भरोसा किया है। जहाँ तक अ.सा.-6 के साक्ष्य का संबंध है, वह अभियोजन के साक्षी के रूप में न्यायालय में किसी भी मांग या मुक्तिधन का उल्लेख नहीं करता है। 03.01.2013 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिए गए अपने प्रथम कथन में, उन्होंने फिर से किसी भी मुक्तिधन का उल्लेख नहीं किया है। वह केवल पुलिस द्वारा दो महीने पश्चात 21.03.2013 को दर्ज किए गए अपने पूरक कथन में मुक्तिधन के विषय में उल्लेख करता है। उच्च न्यायालय इस पर विश्वास करता है और इसे "मृत्युकालिक घोषणा" कहता है। 21.03.2023 को पुलिस को दिए गए कथन को मृत्युकालिक घोषणा नहीं कहा जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के तहत मृत्युकालिक घोषणा को परिभाषित किया गया है जिसे नीचे पुनः उद्धृत किया गया है:

32. वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि—

सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गए थे, जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उप्राप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत है-

(1) जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है—जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।

ऐसे कथन सुसंगत है, चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किये गए थे मृत्यु की प्रत्याशङ्का थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

(2) अथवा कारबार के अनुक्रम किया गया है—जब कि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह, उसके द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किये गए ज्ञापन के रूप में है अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की सम्पत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी

(3) अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है—जब कि वह कथन करने वाले व्यक्ति के धनसंबंधी या साम्पत्तिक हित के विरुद्ध है या जबकि, यदि वह सत्य

हो, तो उसके कारण उस पर दाण्डिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था.

(4) अथवा लोक-अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है —जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक-अधिकार या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से, यदि वह अस्तित्व में होता है तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना सम्भाव्य होता और जब कि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ि या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था।

(5) अथवा नातेदारी के अस्तित्व से सम्बंधित है —जब कि कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह, या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है, उन व्यक्तियों की रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे और जब कि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाये जाने से पूर्व किया गया था।

(6) अथवा कौटुम्बिक बातों से सम्बन्धित बिल या विलेख में किया गया है — जब कि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है और उस कुटुम्ब की बातों से, जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, सम्बन्धी किसी विल या विलेख में या किसी कुटुम्ब -वंशावली में या किसी समाधि-प्रस्तर, कुटुम्ब चित्र या अन्य चीज पर जिस पर, ऐसे कथन प्रायः किये जाते हैं, किया गया है, और जबकि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाये जाने से पूर्व किया गया था।

(7) अथवा धारा 13, खंड (क) में वर्णित संव्यवहार से सम्बन्धित दस्तावेज में किया गया है—जब कि वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या अन्य दस्तावेज

में अंतर्विष्ट है, जो किसी ऐसे संव्यवहार से सम्बंधित है जैसा धारा 13, खंड (क) में वर्णित है।

(8) अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनायें अभिव्यक्त करता है—जब कि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उसकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है। ।

शिकायतकर्ता/पीड़ित (अ.सा.-6) द्वारा 03.01.2013 को दिया गया कथन सर्वप्रथम विवेचना अधिकारी (अ.सा.-10) को दिया गया था। परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे "एक मृत्युकालिक घोषणा" नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दैवीय कृपा से अ.सा.-6 बच गया था। इस कथन को मृत्युकालिक घोषणा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह कथन या घोषणा करने वाला व्यक्ति अंततः बच गया था। 21.03.2013 को अन्वेषण अधिकारी को दिया गया यह पूरक कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत एक कथन से ज्यादा कुछ नहीं है (देखें- जेंटेल विजयवर्धन राव और एक अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) 6 एससीसी 58 241³; सुनील कुमार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1997) 10 एससीसी 570⁴; श्रवण भादाजी भिराद और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 10 एस.सी.सी. 56⁵; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीर सिंह और अन्य (2004) 10 एससीसी 117⁶ और एस. अरुल राजा बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 8 एससीसी 233⁷।

18. हमारी सुविचारित राय में, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने इसे भा.दं.सं. की धारा 364क के तहत एक प्रकरण मानते हुए पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया। अभियोजन पक्ष द्वारा इस पहलू पर कोई सार्थक साक्ष्य नहीं दिया गया था। अतः इस पहलू पर न्यायालयों के निष्कर्षों को अपास्त करने की

3 Para 13

4 Para 20

5 Para 8

6 Para 5

7 Para 31

आवश्यकता है। अतः, हम वर्तमान अपीलों को भागतः इस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि भा.दं.सं. की धारा 364 क के अधीन विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को एतद्वारा अपास्त किया जाता है। तथापि हम पाते हैं कि आरोपी ने भा.दं.सं. की धारा 364 के तहत अपराध कारित किया था, क्योंकि पीड़ित अर्थात् अ.सा.-6 की हत्या करने के लिए व्यपहरण का अपराध साबित होता है। दूसरे शब्दों में, हम धारा 364 क के तहत दोषसिद्धि के निष्कर्षों को भा.दं.सं. की धारा 364 में संपरिवर्तित करते हैं और दोनो अभियुक्तगण (वर्तमान अपीलकर्तागण) को इस मामले में दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 1,000/- रुपये के अर्थदंड और व्यतिक्रम की दशा में तीन महीने के अतिरिक्त कारावास से दंडित करते हैं। धारा 307 सहपठित धारा 120 ख भा.द.सं. के साथ-साथ धारा 392 सहपठित धारा 392 भा.द.सं. के तहत शेष दोषसिद्धि और दंड की पुष्टि की जाती है। हम यह भी जानते हैं कि दंड के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रत्येक पर रु. 50,000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। हम उसे बनाए रखते हैं और निर्देश देते हैं कि वर्तमान अपीलार्थीगण से अर्थदंड वसूल किया जाए, अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम पर, अपीलार्थीगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके पश्चात उपरोक्त अर्थदंड विधि के अनुसार पीड़ित को प्रदान किया जाए।

19. अपराध के पीड़ित को केवल अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में नहीं माना जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (1) न्यायालय को यह आदेश देने हेतु सशक्त करती है कि वसूल की गई अर्थदंड की राशि किसी व्यक्ति को दी जाए जिसे उस अपराध के कारण कोई क्षति या चोट कारित हुई हो। इस प्रकरण में, पीड़ित को 45-48% जलने से आई चोटें कारित हुई थीं और उसने अपना एक पैर खो दिया था, जब वह केवल अठारह वर्ष का था। ऐसा समय आ सकता है जब स्थिति की मांग हो सकती है कि पीड़ित को मुआवजे की पर्याप्त राशि का भुगतान किया जाए और दोषी उस भार को वहन करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो। ऐसी स्थितियों के लिए, धारा 357 क को इस कारण से दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित किया गया था, जहां पीड़ितों को

मुआवजे का भुगतान राज्य निधि से किया जा सकता है, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह पीड़ित को उस अपराध से बचाए जो पीड़ित के खिलाफ किया गया था।

20. वर्तमान प्रकरण में पीड़ित अर्थात् अ.सा.-6 को गंभीर चोटें आई हैं, इतना ही नहीं, उसके घुटने के नीचे का बायां पैर भी काटना पड़ा है। परिणामतः, हम निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पीड़ित को उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, रुपये 1,00,000 के स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 क के तहत मुआवजे के रूप में रु. 5,00,000/- (पांच लाख रूपए मात्र) की राशि का भुगतान किया जाए। ऐसा आज से तीन महीने की अवधि के भीतर ही किया जाए।

21. अश्विनी कुमार यादव को अर्थदंड/मुआवजे के भुगतान के अधीन मुक्त कर दिया जाए बशर्ते कि उसने अपने 10 वर्ष का कारावास पूर्ण कर लिया हो और यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो। अपीलार्थी नीरज शर्मा के दंड को निलंबित करने और उसे जमानत देने की सीमा तक इस न्यायालय का आदेश दिनांक 17/09/2019 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी नीरज शर्मा के जमानत बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं और उसे अपनी शेष दंड को भुगतने हेतु आज से दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति पीड़ित को भी प्रेषित की जाए।